



पत्रांक-मे0कॉ0एटा/2026/175

दिनांक- 15.01.2026


**-:E.O.I. Invitation:-**

**वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज एटा में लीगल एडवाइजर हेतु**

वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज एटा में विभिन्न मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों में समयान्तर्गत वाद दाखिल करने हेतु/अन्य समस्त विधिक कार्यों हेतु एक अनुभवी लीगल एडवाइजर की आवश्यकता है। शर्तें निम्नवत हैं-

1. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव।
2. चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त वादों में सक्षम मा0 न्यायालय में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल करने हेतु दर की सूची सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. उत्तर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य करने वाले अथवा कार्य कर रहे हैं अनुभवी अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. आवेदनकर्ता को इस आशय का शपथ पत्र (रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर) प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।
5. बार काउंसिल निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो कि कम से कम 10 वर्ष पूर्व निर्गत किया गया हो।
6. मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों हेतु केस टू केस आधार पर अपनी फीस के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिसे किसी अन्य मेडिकल कालेज अथवा मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अनुबन्ध को भी साथ में प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे मानदेय का निर्धारण किया जा सके।

एसे इच्छुक अधिवक्ता/लीगल वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज एटा की अधिकारिक वेबसाइट [www.asmcetah.org](http://www.asmcetah.org) पर प्रदर्शित उक्त सूचना के 21 दिवस के अन्दर अपने समस्त वांछित प्रमाणित अभिलेख बन्द लिफाफे के साथ स्वयं अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज एटा कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

  
15/01/26  
प्रधानाचार्य

वीरांगना अवन्तीबाई लोधी  
ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज,  
एटा।



कार्यालय प्राचार्य, वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एटा।  
Veerangna Avanti Bai Lodhi Autonomous State Medical College, Etah, U.P.  
Email ID- [gmcteah@gmail.com](mailto:gmcteah@gmail.com) Website- [www.asmcetah.org](http://www.asmcetah.org)



अधिवक्ता / लीगल एडवाइजर हेतु स्कॉप ऑफ वर्क

(Scope of Work)

1. चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित कोर्ट केसेस/प्रकरणों पर नियमानुसर लीगल एडवाइजर प्रदान करना।
2. चिकित्सा महाविद्यालय के सम्बन्धित कोर्ट केसेस/प्रकरणों पर समायन्तर्गत शासन/महानिदेशालय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु रिट पिटीशन की प्रस्तरवार आख्या तैयार करना।
3. चिकित्सा महाविद्यालय के सम्बन्धित कोर्ट केसेस/प्रकरणों पर समायन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय/अन्य मा0 न्यायालयों में प्रति शपथ पत्र (Counter Affidavit) केविएट इत्यादि दाखिल करना।
4. मा0 उच्च न्यायालय/अन्य मा0 न्यायालयों में दाखिल चिकित्सा महाविद्यालय, एटा से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों को तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
5. चिकित्सा महाविद्यालय में अन्य समस्त शासकीय विषयों पर विधिक राय प्रदान करना।

  
15/01/26

प्रधानाचार्य  
वीरांगना अवंतीबाई लोधी  
ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज,  
एटा।